

100

न्यायालय श्रीमान् सदन्य महोदय राजस्व मण्डलवालिबर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिलारावा

प्र. क्रमांक R. 5240-115

- 1- मिठालाल परसह पिता रामनाथ सिंह उम्र 80 डाल पेशा क्षेत्री,
- 2- मुन्नीलाल सिंह वसाखीलाल सिंह उम्र 45 वर्ष,
- 3- श्यामबहादुरसिंह

4- रामनरेश सिंह

5- शंकर सिंह

6- शिवशंकर सिंह

समी कपिता बाबूलाल सिंह निवासीग्राम नौडिया

तहसील चिरगौजिला सिमरीलोम

आवेदक न/ निराकारण

विरुद्ध

गैरनिराकार

निराकी अंतर्गत धारा 50 मप्रो मूरजस्व

संख्या सन 1959 विरुद्ध आवेश श्रीमान् अर

अर कमि रीवा तंभागरीवाके अमेल पकरण 183

अमेल 15-16ममारित आवेशकि 27-11-15

आवेदक गंगा की ओर से  
श्री रामनाथ सिंह के द्वारा  
दाखिल 17-12-15

17-12-15 सासन मप्रो

मान्यवर,

प्रकरण का संदिप्त विवडण इस्प्रकार हेकि ग्राम पंचायत


नौडिया जनपद पंचायत चिरगौ मे प्रस्ताव पर पर मलेमिफ 622

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5240-II/15

जिला-सिंगरौली

मिठाईलाल सिंह / शासन

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	